

176



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

R 505-217

/2016-17

पुनरीक्षणकर्ता

: कीर्ति बाई कौरव पत्नि श्री रामसुजान कौरव, निवासी-ग्राम व पोस्ट गरहा, तह. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

गैर-पुनरीक्षणकर्तागण

1. श्याम लाल पिता बिहारीलाल, उम्र लगभग 36 वर्ष,
2. श्रीमति सरोज जोजे फूलसिंह उम्र लगभग 40 वर्ष, दोनों निवासी- घाट पिपरिया, पोस्ट बरेली, तह. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
3. हल्को बाई जोजे छुट्टू उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी- आमगांव बड़ा, दिलहेरी, तह. करेली, जिला नरसिंहपुर म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता राजस्व प्रकरण कमांक

09/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की कृषि भूमि ख.नं. 16/13 रकवा 2.00 हे. भूमि मौजा टेकापार, घाट पिपरिया, तह. गाडरवारा में स्थित है जिस पर कि पुनरीक्षणकर्ता का नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज है ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.1990 को रा.प्र. कं. 63/अ-06/1989-90 पारित आदेश के आधार पर उक्त




## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-505-एक/17

जिला - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सदस्य</b> </p> <p><b>कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</b></p>	